कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।

संख्याः—एम0ई0—3/2020/901

दिनांकः— 01 .06.2020 जून

आवश्यक सूचना

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो मे संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 9.3.2019 एवं 17.3.2020 के द्वारा निर्धारित शुल्क का संकलित विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था, जिसके आधार पर अभ्यर्थियो द्वारा ऑनलाइन न्यूनतम शिक्षण शुल्क रू0 10,00,000 एवं 5,00,000 जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। यू0पी0 नीट पी0जी0 2020 के अन्तर्गत सम्पन्न प्रथम चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से निजी क्षेत्र के निम्नांकित मेडिकल कालेजो द्वारा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 9.3.2019 एवं 17.3.2020 को चुनौती देते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेन्च एवं मा0 फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी, चारबाग, लखनऊ के समक्ष रिट याचिकाएं/अपील दायर की गयी है, जो मा0 न्यायालय के विचाराधीन हैः—

क्र0सं0	कालेज का नाम
1	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ
2	हिन्द मेडिकल कालेज, सीतापुर
3	रामा मेडिकल कालेज, हापुड़
4	रामा मेडिकल कालेज, कानपुर
5	राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली
6	मेयो मेडिकल कालेज, बरेली
7	हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी

अतः निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो मे आवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थियो को सूचित किया जाता है कि शुल्क निर्धारण मा0 न्यायालयो/फीस नियमन समिति में लम्बित वादो मे भविष्य में पारित होने वाले अन्तिम आदेशो/निर्णय के अधीन होगा।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।